# न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।

**जी0आर0नं0:—639 / 2020**

**विचारण संख्या—2631 / 2021**

**दाउदनगर थाना कांड संख्या :—218 / 2020**

**14.03.2022** काराधीन अभियुक्त सुदर्शन रविदास उर्फ मास्टर की ओर से शक्ति पत्र के साथ जमानत आवेदन दाखिल किया गया, जिसकी प्रति विद्वान अभियोजन पदा0 को दी गई है।

वाद पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त जमानत आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि आवेदक निर्दोष है । आवेदक की ओर से उक्त जमानत आवेदन के अलावा किसी अन्य न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नही किया गया है । आवेदक दिनांक—11.08.2020 से न्यायिक अभिरक्षा में है । आवेदक को गलत ढं.ग से फंसाया गया है । आवेदक के पास से लूट का रूपया बरामद नही है । अतः आवेदक को किसी भी राशि का जमानत दिया जाय।

विद्वान अभियोजन पदाधिकारी जमानत का विरोध करते हैं ।

सुना । अभिलेख का अवलोकन किया । जिससे विदित होता है कि उक्त वाद की प्राथमिकी धारा 395, 397, 412, 402 & 120(B) भा0दं0सं0 के अंतर्गत संज्ञान ली गई है । संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक—30.07.2020 को समय करीब 10:50 बजे इंडियन बैंक की शाखा जिनोरियों में आठ—दस अज्ञात अपराधकर्मी घुसने लगे। गार्ड जब रोकने का प्रयास किया तो उसके साथ मारपीट किया गया तथा कट्टा के बट एवं चाकू से मारकर गार्ड को जख्मी कर दिया उसके बाद अपराधियों ने चाकू एवं पिस्तौल का भय दिखाकर बैंक का चौसठ लाख रूपया लूट लिया । बैंक के अंदर मौजूद ग्राहक को कमरे में घुसा कर बाहर से बंद कर दिया उसके बाद तीन मोटरसाईकिल से अपराधी दाउदनगर के तरफ भाग गये । आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त नही है, बल्कि उनका नाम अनुसंधान के क्रम में आया है । अभिलेख पर उक्त वाद के अन्य अभियुक्तगण नामतः वीरजीत कुमार, सुरेन्द्र पासवान एवं मो0 नेसार आलम का स्वीकारोक्ति बयान अभिलेख पर है, जिसमें उक्त कारित घटना में आवेदक की संलिप्तता से सम्बन्धित कथन किया है एवं स्वयं आवेदक का भी स्वीकारोक्ति बयान है, जिसमें उसने उक्त कारित घटना में स्वयं की संलिप्तता से संबंधित कथन किया है । आवेदक के विरूद्ध गम्भीर आरोप है । उक्त वाद के अन्य अभियुक्तगण का जमानत इस न्यायालय द्वारा खारिज है ।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति एवं गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान करना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवेदक/अभियुक्त द्वारा दाखिल जमानत आवेदन खारिज किया जाता है ।

अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।